



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14949

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या- 654/2026

सत्य प्रकाश

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : सन्तोष कुमार यादव

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार यादव और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद द्वारा निर्देश दिए गए हैं, प्रस्तुत करते हैं कि वह निर्देशों से अच्छी तरह सुसज्जित हैं और रिट याचिका के निस्तारण के लिए निर्देश आत्मनिर्भर हैं और वह आगे कोई हलफनामा दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए, इस प्रकार पक्षों की सहमति से, रिट याचिका पर नए चरण में निर्णय लिया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उसे वर्ष 1997 में पीएसी में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 48% विकलांग हैं और उनकी दवा पीजीआई लखनऊ से की जा रही है। निवेदन यह है कि दिनांक 06.05.2025 के सरकारी आदेश के अनुसार, कुछ दिशानिर्देश हैं जो दिव्यांग व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं करने का भी प्रावधान करते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सबसे पहले, उन्हें कानपुर से मेरठ स्थानांतरित कर दिया गया था। अब उन्हें 02.01.2026 को हस्ताक्षर लेते हुए जबरन इटावा स्थानांतरित कर दिया गया है।

5. वर्तमान याचिका में प्रार्थना प्रत्यर्थीगण को दावे पर विचार करने के निर्देश के लिए है।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे को पहले बार में दूसरे प्रत्यर्थी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पीएसी, मुख्यालय, लखनऊ में उत्तर प्रदेश द्वारा निर्णय की आवश्यकता है।

7. इस तरह के निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे शालीनता से स्वीकार करता है।

8. प्रतिद्वंद्वी पक्षों की दलीलों के साथ-साथ उनके द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का **निस्तारण** निम्नलिखित शर्तों में किया जा रहा है:

(क) रिट याचिकाकर्ता 30.01.2026 तक दूसरे प्रत्यर्थी के समक्ष वर्तमान याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करेगा, उक्त प्रस्ताव पर, सक्षम प्राधिकारी 28.02.2026 तक रिट याचिकाकर्ता को नोटिस में डालने के बाद आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा;

(ख) 28.02.2026 तक रिट याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

(ग) रिट याचिकाकर्ता को इस प्रकार प्रदान किया गया संरक्षण केवल उन आकस्मिकताओं में लागू रहेगा जिनमें रिट याचिकाकर्ता समय-सीमा का पालन करता है और आदेश के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है और यदि कोई उल्लंघन हुआ है, तो इस प्रकार प्रदान की गई सुरक्षा पीठ के संदर्भ के बिना खाली हो जाएगी।

9. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

21 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)